



Neutral Citation No. - 2026:एचसी:60820-डीबी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4188/2026

संदीप यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: अखिलेश कुमार मिश्रा, रश्मी उपाध्याय

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के प्रस्ताव के समर्थन में विस्तार से अपनी बात रखी, और राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री शशि शेखर तिवारी ने भी अपनी बात रखी।
- याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और 61(2) तथा उत्तर प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 8/13 के तहत दर्ज आक्षेपित एफआईआर (मुकदमा अपराध संख्या 536/2024) को रद्द करने की प्रार्थना की है। यह मामला पुलिस स्टेशन - बांसगांव, जिला - गोरखपुर में दर्ज किया गया था।
- याचिकाकर्ता पर उसके सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर सरकारी नौकरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। याचिकाकर्ता का नाम सह-अभियुक्त रत्नेश कुमार चौधरी के बयान में सामने आया है, जिसने पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी और जब प्रधानाचार्य ने उसे आधार कार्ड सत्यापन के लिए बुलाया तो वह परीक्षा हॉल से गायब हो गया था।
- पूछताछ के दौरान रत्नेश कुमार चौधरी ने बताया कि राजेश कुमार त्रिपाठी ने उससे कहा था कि वह उसे कोई भी सरकारी नौकरी दिला सकता है क्योंकि वह ऐसे लोगों को जानता है जो ऐसा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में उन्होंने दूसरों के लिए सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी दिलवाई है। यदि रत्नेश कुमार चौधरी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो वे उनके बैंक खाते में 3 लाख रुपये भेज सकते हैं।

5. इसके बाद, राजेश कुमार त्रिपाठी ने रत्नेश कुमार चौधरी को पूर्वांचल बैंक में मनोज चौधरी के खाते का नंबर दिया, जिसमें रत्नेश कुमार चौधरी ने 3 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। राजेश कुमार त्रिपाठी ने रत्नेश कुमार चौधरी को यह भी बताया कि सरकारी नौकरी दिलवाने का असली काम उनके मित्र संदीप यादव, राम मिलन यादव के पुत्र (याचिकाकर्ता) करते हैं। पैसा उन्हें भेजना था, जिसके बाद रत्नेश का काम हो जाएगा।

6. लगभग दो साल बीत जाने के बाद, जब कुछ नहीं हुआ, तो रत्नेश कुमार चौधरी ने राजेश कुमार त्रिपाठी से अपने पैसे वापस मांगे। जब रत्नेश कुमार चौधरी को अपने पैसे वापस नहीं मिले, तो उन्होंने संदीप यादव से संपर्क किया। संदीप यादव ने रत्नेश को बताया कि राजेश कुमार त्रिपाठी ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है और यह भी कहा कि अगर उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह टीईटी के माध्यम से उन्हें नौकरी दिलवा देंगे। समय बीतता चला गया।

7. इसी बीच, वर्ष 2023 में पुलिस भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी हुई और याचिकाकर्ता ने रत्नेश कुमार चौधरी को 5 लाख रुपये के बदले पुलिस में नौकरी दिलाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें से रत्नेश कुमार चौधरी ने याचिकाकर्ता को किशतों में बड़ी रकम का भुगतान किया।

8. याचिकाकर्ता संदीप यादव के खिलाफ विवेचना के दौरान एकत्र की गई उपरोक्त सामग्री से पता चलता है कि वह भोले-भाले नौकरी चाहने वालों को न केवल उनकी मेहनत की कमाई बल्कि कमजोर संसाधनों से प्रबंधित धन से भी ठगने के अवैध धंधे में शामिल है।

9. सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि हम मामले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सत्य हो या असत्य, हमारा मत है कि हम सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के संबंध में जनता को धोखा देने से जुड़े वर्तमान प्रकृति के आरोपों की इस प्रकार की विवेचना शुरू नहीं कर सकते।

10. यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप का उपयुक्त मामला नहीं है। यह याचिका खारिज की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति) (न्यायाधीश मुनीर, न्यायमूर्ति)

24 मार्च, 2026

प्रशांत डी.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"